छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–62 / रेरा / 2021 / 1697 रायपुर, दिनाँक 18 / 08 / 2021

/ / परिपत्र / /

विषय :– वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2020–2021 प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समयावधि में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–25 / रेरा / 2019 / 1987, रायपुर, दिनाँक 22 / 08 / 2019 ।

––00––

प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र क्रमांक–25 के माध्यम से छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हेतु वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जांरी किये गये थे। भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4(2) सहपठित उपरोक्त उल्लेखित परिपत्र अनुसार प्रत्येक पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को वित्तीय वर्ष 2020–2021 की समाप्ति उपरांत 30.09.2021 तक प्रोजेक्ट के समस्त खातों का ऑडिट कराकर प्राधिकरण के समक्ष प्रोजेक्ट्स की लेखा परीक्षण रिपोर्ट वेबपोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परन्तु कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के कारण अप्रैल तथा मई, 2021 में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलो में लॉकडाउन होने की वजह से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का नियमित विकास कार्य विपरीत रूप से प्रभावित रहा है। अतः उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुये प्राधिकरण द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वर्ष 2020–2021 हेतु वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. वर्ष 2020–2021 हेतु बिना विलंब शुल्क के वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.09.2021 में दो माह की वृद्धि करते हुये अंतिम तिथि 30.11.2021 निर्धारित की जाती है।
2. उपरोक्त उल्लेखित समयावधि पश्चात् ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रति दिवस रूपये 500 / – का विलंब शुल्क यथावत देय होगा।

नोट :– (A) वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट केवल प्राधिकरण की वेबसाईट **https://rera.cgstate.gov.in** पर अपलोड की जानी है। यदि किसी प्रमोटर द्वारा रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो वह स्वीकार्य नहीं होगी।

(B) ऐसे प्रोजेक्ट्स, जिन्हें दिनाँक 31.03.2020 या इससे पूर्व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020–2021 के पूर्व पूर्ण हो चुके पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2020–2021 प्रस्तुत नहीं करना है।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

16/8/2021

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.